लेखा·योग

12. चैक संबंधी सावधानियां

जून-जुलाई 2008

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

इस अंक में

सावधानी में ही बुद्धिमानी है! • बैंक खाता नंबर भी लिखें • चैक जो आपको मिलते हैं • मनोज का जुड़वां भाई pg1

दोबारा क्रॉस करें • पावती ज़रूर लें • जमा पर्ची संभाल कर रखें • बचे हुए चैक pg2

चैक को क्रॉस करना pg3

जाली दस्तखत pg4

लेखा-योग 9 में हमने इस बारे में चर्चा की थी कि अगर आप चैकों के मामले में लापरवाही बरतते हैं तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अंक में भी हम ऐसे ही कुछ और मसलों की चर्चा करेंगे और उनसे बचने के कुछ नए उपाय बताएंगे।

सावधानी में ही बुद्धिमानी है!

चोर जब आपके पीछे पड़े हों और पुलिस भी कुछ न कर पा रही हो तो आप अपना बचाव किस तरह से करते हैं?

बैंक खाता नंबर भी लिखें

इसके लिए एक अच्छा तरीका यह है कि आप चैक में, पाने वाले के नाम के साथ उनका खाता नंबर और बैंक का नाम भी लिख दें। तब आपका चैक कुछ इस तरह दिखेगाः

Pay PRAKRITI's A/c no. 03268897068 with SBI x----x---x ~~or bearer~~

ऐसे चैक को कोई अन्य व्यक्ति आसानी से नहीं भुना सकता। इसके अलावा चैक पर 'अकाउंट पेयी ओनली, नॉट निगोशिएबल' ('A/c Payee Only, Not Negotiable') या 'केवल आदाता खाता में देय, अहस्तांतरणीय' लिखकर उसे क्रॉस ज़रूर करें।

चैक जो आपको मिलते हैं

जब आप चैक जारी करते हैं तो उस समय यह तरीका आपको (और चेक पाने वाले को) बचा सकता है। लेकिन आपको जो चैक मिलते हैं उनके बारे में आप क्या करेंगे? हो सकता है उन पर आपका खाता नंबर भी न लिखा हो।

मनोज का जुड़वां भाई

हाल ही में मनोज को अपने दफ्तर से एक अकाउंट पेयी (आदाता खाता में देय) चैक मिला। उसने चैक के पिछली तरफ अपना खाता नंबर, बैंक और शाखा का नाम लिख कर उसे अपने बैंक (आईडीएफसी) के ड्रॉप बॉक्स में जमा करा दिया।

जब मनोज का चैक कई दिनों तक उसके खाते में जमा नहीं हुआ तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दफ्तर में इस बात की जानकारी दी। दफ्तर वालों ने अपने बैंक (विटी बैंक) में फोन किया। बैंक वालों ने बताया कि मनोज का चैक तो उन्होंने तीन दिन पहले ही क्लियर (भुगतान) करके वापस भेज दिया था। बाद में अनुरोध करने पर उन्होंने उस बैंक (एनआईबी) का ब्यौरा भी दे दिया, जिसके द्वारा चैक भुनाया गया था।

इस जानकारी के आधार पर जब मनोज ने एनआईबी की संबंधित शाखा से संपर्क किया तो पता चला कि किसी ने उसी के नाम से वहाँ एक खाता खुलवा कर चैक जमा करवाया और फिर पैसा निकाल लिया। इसके बाद मनोज शाखा प्रबंधक के साथ उस खातेदार के घर भी गया। जाने पर मालूम हुआ कि खातेदार का पता फर्जी था।

www.AccountAid.net

आपको हमेशा बैंक से मोहर लगी पावती रसीद ज़रूर लेनी चाहिए। आप बैंक के किसी कर्मचारी से आग्रह करें कि वह मोहर लगाएं और उस पर अपने दस्तखत करें।

सौभाग्य की बात थी कि प्रबंधक काफी भले आदमी थे। उन्होंने स्वीकार किया कि नए खातेदार के पते की ठीक से जाँच किए बिना खाता खोलकर उन्होंने गलती की है। अपनी गलती के बदले उन्होंने मनोज को पूरी रकम दिलवा दी।

पूरे मामले को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आईडीएफसी बैंक के ड्रॉप बॉक्स में से किसी ने मनोज का चैक चुरा लिया था। इस बात की पूरी संभावना दिखाई देती है कि यह चोरी आईडीएफसी या उसकी किसी सहायक एजेंसी के ही किसी कर्मचारी ने की थी। लेकिन आईडीएफसी बैंक ने यह मानने से ही साफ इनकार कर दिया कि यह चैक उनके बैंक में कभी जमा भी हुआ था। यह बहुत आसान जवाब था क्योंकि चैक जमा कराने का मनोज के पास कोई सबूत नहीं था (इस घटना से संबंधित सारे नाम बदल दिए गए हैं)।

दोबारा क्रॉस करें

ऊपर दिए गए उदाहरण को देखने के बाद हम सोच सकते हैं कि इससे बचने के लिए मनोज क्या कर सकता था? इसका एक तरीका तो यह है कि इस चैक को किसी खास बैंक के नाम पर दोबारा क्रॉस कर दिया जाये। इस घटना में, अगर मनोज ने चैक जमा कराने से पहले उसे आईडीएफसी बैंक के नाम क्रॉस कर दिया होता तो कोई भी धोखेबाज इसे एनआईबी बैंक के द्वारा नहीं भुना सकता था। चैक को इस तरह से क्रॉस करने का तरीका नीचे चित्र में दिखाया गया है।

पावती ज़रूर लें

आजकल ज़्यादातर बैंक आपकी जमा पर्ची पर मोहर नहीं लगाते। वे चाहते हैं कि आप अपना चैक ड्रॉप बॉक्स में डाल कर चले जाएँ। इससे उनका ओवरहेड का खर्चा बच जाता है। परंतु आप देख चुके हैं कि इसकी वजह से मनोज को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह घटना आपके साथ भी हो सकती है।

इसीलिए आपको हमेशा बैंक से मोहर लगी पावती रसीद ज़रूर लेनी चाहिए। आप बैंक के किसी कर्मचारी से आग्रह करें कि वह मोहर लगाएं और उस पर अपने दस्तखत करें। खुद मोहर लगाने से बचें क्योंकि इससे बैंक को बचने का एक और रास्ता मिल जाता है।

चित्र 1: चैक जमा (डिपॉजिट) करने की मशीन

जमा पर्ची को संभाल कर रखें

आपको अपनी जमा पर्ची हमेशा संभाल कर सुरक्षित रखनी चाहिए। चाहे तो आप इसे वाउचर के साथ नत्थी कर सकते हैं या किसी अलग पुस्तिका में संभाल कर रख सकते हैं।

अब पीएनबी जैसे कुछ बैंकों ने तो ऑटोमेटिक चैक जमा (डिपॉजिट) करने की मशीनें भी लगा दी हैं। ये मशीनें जमा पर्ची और चैक, दोनों को स्कैन करती हैं और पावती रसीद जारी करती हैं। पावती रसीद में जमा पर्ची और चैक, दोनों का चित्र होता है तथा चैक जमा करने का समय व तारीख लिखी होती है।आपको इस पर्ची का ज़ेरोक्स[1] करवा कर उसे वाउचर के साथ नत्थी कर के रखना चाहिए।

बचे हुए चैक

आपके कोरे चैक गुम हो सकते हैं या उन्हें चुराया जा सकता है। अगर आप अपनी चैक बुक कहीं लावारिस छोड़ देते हैं तो कोई व्यक्ति उसमें से एक-दो चैक फाड़ या चुरा सकता है। या, हो सकता है कि आपकी पूरी चैक बुक ही खो जाए और आपको कुछ समय तक इसका पता भी न चले। अगर आप किसी पुरानी चैक बुक में बचे हुए चैक छोड़ देते हैं तो उसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है।

जिस समय चैक बुक आपको भेजी जा रही है उस समय भी कोई उसे चुरा सकता है। आजकल कई बैंक खातेदार के पास कुरियर के माध्यम से चैक बुक भेजते हैं। ऐसे में आपको इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि आपने चैक बुक के लिए कब निवेदन भेजा था और वह पर्याप्त समय के भीतर आप तक पहुँच गई है या नहीं।

[1] यह पर्ची थर्मल पेपर पर छपी होती है इसलिए 2-6 माह के भीतर धुंधली पड़ने लगती है।

accountable-subscribe@topica.com

चैक को क्रॉस करना

चैक का दुरुपयोग रोकने के लिए आप उसे कई तरह से क्रॉस कर सकते हैं:

अगर आप केवल दो लाइनें खींच कर क्रॉस करते हैं और वहाँ बाकी कुछ नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है कि उस चैक का किसी दूसरे बैंक के माध्यम से ही भुगतान किया जा सकता है।

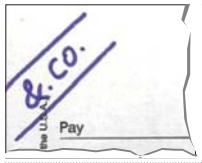

इस तरह की क्रॉसिंग भी ऊपर वाली क्रॉसिंग के जैसी ही है। 'ऐण्ड कंपनी' शब्द जोड़ देने से कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिलती।

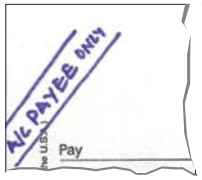

लेकिन, यदि आप 'अकाउंट पेयी ओनली' या 'केवल आदाता खाता में देय' लिख देते हैं तो काफी फर्क पड़ जाता है। आमतौर पर कोई भी बैंक इस चैक को किसी दूसरे के बैंक खाते में नहीं डाल सकता। लेकिन यह चैक 'परक्राम्य' या 'हस्तांतरणीय' (negotiable) रह जाता है और उसे पृष्ठांकित (endorse) किया जा सकता है। बैंक कानूनन ऐसे चैक को किसी दूसरे खाते में (अपने ग्राहक पर भरोसा करके) भी जमा कर सकता है। तब आप अपना पैसा केवल उस व्यक्ति से ही वसूल कर सकते हैं जिसने आपका चैक चुराया था या पैसा निकाला था। बैंक की इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

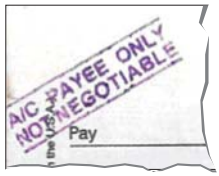

अगर आप साथ में 'नॉट नेगोशिएबल' भी लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि अब उस चैक को पृष्ठांकित नहीं किया जा सकता। अगर बैंक इस चैक को किसी दूसरे खाते में जमा कर देता है तो आप वह पैसा बैंक से वसूल कर सकते हैं।

अगर आप चैक के ऊपर अपने बैंक का नाम भी लिख देते हैं तो इस चैक को केवल वही बैंक भुना सकता है। जब आपको कोई चैक मिला हुआ हो और आप उसे अपने बैंक खाते में जमा करवाने वाले हैं तो यह तरीका काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

प्रो. मोरियारिटी के विद्यार्थी

सर आर्थर कॉनन डॉयल के महान जासूस शर्लाक होम्स की टक्कर का कोई व्यक्ति था तो सिर्फ प्रोफेसर मोरियारिटी। प्रोफेसर का दिमाग बहुत तेज़ था (लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया)। सौ साल बाद प्रोफेसर के शिष्यों की स्थिति उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती।

इस साल जनवरी में न्यूयार्क में दो लोगों ने 355 डॉलर (14,000 रुपए) का चैक भुनाने की कोशिश की थी। बैंक कर्मियों ने उन्हें कहा कि मिस्टर विजिलियो क्लिंट्रॉन को भी भुगतान के समय मौजूद होना चाहिए क्योंकि यह उन्हीं का खाता है। इससे एक समस्या खड़ी हो गई। मिस्टर क्लिंट्रॉन पिछली शाम को ही गुजर चुके थे। तब ये दोनों आदमी घर लौटे, उन्होंने मिस्टर क्लिंट्रॉन के शव को कपड़े पहनाए और उन्हें एक व्हील चेयर में बिठा कर बैंक में ले गए। उनकी किस्मत खराब थी कि दो पुलिस वालों को मिस्टर क्लिंट्रॉन का पीला, मुरझाया चेहरा देखकर शक हुआ। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की तो दोनों दोस्तों ने बताया कि उन्हें मिस्टर क्लिंट्रॉन की मृत्यु की जानकारी नहीं है। तब दोनों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया।

लेकिन 355 डॉलर तो कुछ भी नहीं है। मिस्टर चॉर्ल्स रे फुलर का कारनामा काफी बड़ा है। अप्रैल 2008 में उन्होंने फोर्ट वर्थ, अमेरिका में एक चैक भुनाने की कोशिश की थी और सुर्खियों में छा गये। जानते हैं उनका चैक कितने रुपए का था? जी हां, पूरे 144 खरब रुपए (300 करोड़ डॉलर) का! उन्होंने बताया था कि यह चैक उन्हें अपनी प्रेमिका की मां से मिला था। जब उस महिला से पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। किस्मत की बात थी कि फुलर महोदय की जमानत उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना उनका लालच था। उन्हें केवल 3750 डॉलर जमा करके जमानत मिल गई।

फुलर की नादानी को आजकल के ठगों की अज्ञानता और बेवकूफी कहा जा सकता है। और मिस्टर फुलर इस कतार में अकेले नहीं हैं। अक्तूबर 2007 में एक आदमी ने पिट्सबर्ग, अमेरिका में एक बैंक के कैशियर को 10 लाख डॉलर का नोट थमाया और छुट्टे माँगने लगा। लेकिन ये नोट ज़ब्त कर लिया गया। जब उसने मारपीट करने की कोशिश की तो उसे हिरासत में ले लिया गया।

तीन साल पहले, मार्च 2004 में, ऐलिस पाइक को गिरफतार किया गया था जो 10 लाख डॉलर के नोट से, अपना परचून का बिल चुकाने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें पता ही नहीं था कि अमेरिकी सरकार ने कभी 10,000 डॉलर से ज़्यादा मूल्य का नोट नहीं छापा है। और यह भी 1969 में बंद कर दिया गया था। तब से आज तक 100 डॉलर का नोट ही सबसे बड़ा माना जाता है।

प्रोफेसर साहब को अगर अपने आधुनिक विद्यार्थियों की हरकतों का पता चलेगा तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत-बहुत गुस्सा आयेगा।

स्रोतः 'एनवाई पुलिस फाइंड 'कैशबैक' कॉर्प्स' (10 जनवरी 2008); 'टैक्सन ट्राइज़ टू कैश 360 बिलियन चैक' (2 मई 2008); 'यूएस मैन सीक्स चेंज फॉर 1 मिलियन नोट' (9 अक्तूबर 2007); 'यूएस वूमैन शॉप्स विद फेक वन मिलियन बिल' (10 मार्च 2004), www.news.bbc.co.uk पर उपलब्ध।

जाली हस्ताक्षर

अगर कोई व्यक्ति आपके जाली हस्ताक्षर करता है तो बैंक के पास कोई बचाव का रास्ता या सुरक्षा नहीं होती (लेखा-योग 9 में देखें - *बहरूपिया डाक बाबू*)। इसकी वजह यह है कि जाली चैक को 'कभी इशु नहीं हुआ' ही माना जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जालसाज़ी कितनी सफाई से की गई थी। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लापरवाही से ही आपका चैक जालसाज़ों के हाथ लग गया था।

अब मान लीजिए कि आपने एक चैक बनाया है लेकिन उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। कोई इस चैक को चुरा लेता है और उस पर आपके जाली हस्ताक्षर कर देता है। इसके बाद चैक जमा करवा कर वह पूरा पैसा निकाल लेता है तो क्या अब आप बैंक से यह पैसा वसूल कर सकते हैं?

हाँ भी और नहीं भी। कायदे से देखें तो बैंक को आपके पैसे की क्षतिपूर्ति कर देनी चाहिए क्योंकि उस चैक पर आपके असली दस्तखत नहीं थे और दस्तखत जाली थे। लेकिन इसके लिए आपको यह साबित करना पड़ेगा कि चैक पर आपने दस्तखत नहीं किए थे। इसके लिए आपको हस्तलेखन विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ सकती है।

इसके अलावा आपको अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, सो अलग। हमारी अदालतों के ऊपर लंबित मामलों का बोझ इतना ज़्यादा है कि अपने हक में फैसला पाने के लिए आपको 50 साल भी लग सकते हैं! अगर आपको यह बात अविश्वस्नीय लग रही है तो सिकंद हत्याकांड को ही देख सकते हैं। यह घटना 1982 की है और सत्र न्यायालय ने अपना फैसला 2008 में जाकर सुनाया है! और यह किस्सा यहीं पर खत्म होने वाला नहीं है। हो सकता है अब बचाव पक्ष ऊपरी अदालत में अपील दायर कर दे। आरोपी चाहे तो मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जा सकते हैं।

लिहाजा, सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप अपने चैक या चैक बुक के मामले में किसी तरह की लापरवाही न बरतें, उन्हें किसी और के हाथों में न पड़ने दें।

लेखा-योग के संबंधित अंकः

09: चैक के साथ जोखिम
10: बैंक समाधान विवरण
11: कोरे चैक पर दस्तखत करना
66: चैक से जुड़ी कुछ और बातें

लेखा योग क्या है:

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और उसे 5,000 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूजलैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंगेजी में लेखा-योगः

लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटेबल' के नाम से उपलब्ध है।

कानून की व्याख्याः

यहां कानून की जो व्याख्या दी गई है वह काफी सामान्य स्तर पर है। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपने सलाहकारों से बात ज़रूर करें।

इंटरनेट पर लेखा-योगः

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - www.AccountAid.net. पर उपलब्ध हैं। लेखायोग के नए अंकों की अपलोडिंग के बारे में ई-मेल से जानकारी हासिल करने के लिए lekhayog-subscribe@topica.com. पर एक ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर दें।

अकाउंटएड कैप्सूलः

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए accountaid-subscribe@topica.com. पर ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर दें।

इंटरनेट पर आपके खातेः

आपके खातों का सार-संकलन करके उन्हें इंटरनेट पर प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें आप अपनी सालाना रिपोर्ट में भी शामिल कर सकते हैं। इस के उदाहरण www.AccountAid.net. पर देखें। और ज़्यादा जानकारी के लिए accountaid@gmail.com पर हमें लिखें।

सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियां:

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-26343128; फोन/फैक्स : 011-26343852;
ई-मेलः accountaid@gmail.com
© अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत 2065 आषाढ़, ईस्वी सन् जुलाई 2008.
लेखः श्री संजय अग्रवाल; अनुवादः श्री योगेन्द्र दत्त
सम्पादनः कु.संचिता चक्रबर्ती; डिज़ाइनः श्रीमती मोऊशुमी डे
श्री अनिल बरनवाल द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली, फोन 26343128 के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स नई दिल्ली, फोन 26811689, 9810653101 से मुद्रित।
केवल निजी प्रसार के लिए।
tYT/rAB,IA/sAB,SC/cAB,SC/eSC/cdSA

accountaid@gmail.com